क

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

:: आदेश ::

सचिव, समाज कल्याण विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2124 दिनांक-26.09.2025 के आलोक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के माध्यम से किया जाना है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय अन्तर्गत संचालित योजनाओं के लाभुकों को ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से भुगतान की मार्गदर्शिका पूर्व में ज्ञापांक-1433 दिनांक-05.10.2018 के द्वारा निर्गत की गयी थी।

अतएव इसके आलोक में पूर्व में निर्गत ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं के DBT से भुगतान की मार्गदर्शिका से संबंधित आदेश की कंडिका-03 में इस योजना को शामिल करते हुए कंडिका-3.3 को निम्नप्रकार जोड़ा जाता है :-

3.3 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

3.3 (i) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभुकों की विवरणी स्वीकृति तथा सत्यापनोपरान्त प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा ई-सुविधा पोर्टल पर इन्ट्री की जायेगी। आवश्यकतानुसार बाध्यकारी परिस्थिति में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से सत्यापित हार्ड कॉपी प्राप्त कर जिला स्तर से भी ई-सुविधा पोर्टल पर इन्ट्री की जा सकती है। पूर्व में प्राप्त आवेदनों के इन्ट्री के दौरान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी यह भी प्रतिवेदित करेंगे कि लाभार्थी को राशि का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है अथवा राशि का भुगतान किया जाना लंबित है।

3.3 (ii) स्वीकृत आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड करने के पूर्व लाभार्थी के बैंक खाता के पासबुक को अनिवार्य रूप से देखकर संतुष्ट हो लेना आवश्यक होगा कि लाभुक के नाम से ही उसका बैंक खाता और आई0एस0एफ0सी0 कोड है या नहीं और उसका नाम बैंक खाता में अंकित नाम से अक्षरशः मिलता है या नहीं । साथ ही लाभार्थी के बैंक खाता के पासबुक की स्कैन कॉपी भी ई-सुविधा पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। ई-सुविधा पोर्टल पर जिला/ प्रखण्ड के स्तर से की गई लाभुकों की इन्ट्री में आवश्यक रूप से उसकी स्वीकृति से संबंधित आदेश को पीडीएफ के रूप में अपलोड किया जाना आवश्यक है।

3.3 (iii) पोर्टल पर अपलोड लाभुकों की सूची को सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा लॉक कर Digital Signature/E-Sign किया जायेगा और तभी उन्हें भुगतान हेतु

स्वीकृत माना जायेगा। भुगतान के लिए प्रक्रिया हेतु अनुमोदित करने से पूर्व सभी सहायक निदेशक आवश्यक रूप से संतुष्ट हो लेगे कि पोर्टल पर लॉक की गई लाभुक की विवरणी तथा राशि की विवरणी सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने/डाटा के गलत होने की आशंका होने पर सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को Revert/deletion का अधिकार होगा। Revert/deletion करते हुए सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग इसका कारण भी स्पष्ट करेंगे। Digital Signature/E-Sign की सुविधा उपलब्ध होने तक सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा ई-सुविधा पर लॉक किये गये डाटा को ही रेडी फॉर पेमेन्ट मानते हुए राज्य स्तर से भुगतान किया जायेगा। सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से भुगतान हेतु प्राप्त सूची के आलोक में 'सक्षम' से पेमेन्ट फाईल तैयार की जायेगी। राशि की उपलब्धता के आलोक में ready for payment फाईल पर निदेशक के द्वारा भुगतान की अनुमति दी जाएगी। जिसे अधिकृत पदाधिकारी द्वारा Digital Signature/E-Sign करते हुए सर्वर से सर्वर इंटीग्रेशन के माध्यम से होस्ट तो होस्ट प्रक्रिया के तहत बैंक द्वारा विहित राशि लाभुक के खाता में प्रेषित किया जायेगा। DBT हो जाने के उपरान्त ready for payment फाईल वस्तुतः Paid फाईल बन जायेगी, "सक्षम" कार्यालय के अन्तर्गत SSPMIS में गठित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कोषांग राज्य स्तरीय DBT की पूरी प्रक्रिया का संधारण करना सुनिश्चित करेगी। साथ ही DBT हो जाने के उपरान्त ready for payment फाईल वस्तुतः Paid फाईल बन जायेगी, जिसकी hardcopy को प्रत्येक प्रखण्ड/पंचायत में सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ संधारित किया जायेगा।

आदेश की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

विश्वासभाजन

ह0/-

(बन्दना प्रेयषी)

सचिव,

समाज कल्याण विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 02/सा0 सु0 योजना-03/2025 सं0क0 पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/-

सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 02/सा0 सु0 योजना-03/2025 सं0क0 पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/-
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 02/सा0 सु0 योजना-03/2025 सं0क0 पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/-
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 02/सा0 सु0 योजना-03/2025 सं0क0 पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/-
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 02/सा0 सु0 योजना-03/2025 सं0क0 पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बिहार/सभी सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/-
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 02/सा0 सु0 योजना-03/2025 सं0क0 08 पटना, दिनांक- 01/01/2026

प्रतिलिपि:- विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे ।

31/12/2025

सचिव,
समाज कल्याण विभाग।